an>

Title: Need to include Mahar/Mahara caste of Chhattisgarh in the list of Scheduled Castes.

**श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर)** ः छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत महरा/माहरा जाति मूल रूप से महार जाति का एक उप समूह है जो छत्तीसगढ़ बोली में महरा/माहरा कहलाते हैं। सूती कपड़ा बुनना, कोटवारी इनका प्रमुख कार्य है। इस जाति का निवास छत्तीसगढ़ के धमतरी, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जांजगीर-चाँपा, रायगढ़, सरगुजा आदि जिलो में हैं। छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार एवं आदिमजाति अनुसंधान संस्थान द्वारा महरा/माहरा जाति के सम्बन्ध में की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उक्त जाति का छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को दिनांक 8.5.2008 को प्रेषित किया गया। इस प्रस्ताव पर भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.10.2008 में उल्लेख किया गया कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1989 में महरा जाति का प्रस्ताव समावेशन हेतु प्रेषित किया गया था जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा में निवासरत महरा/माहरा परिवारों का अध्ययन किया गया जिसमें ओ.आर.जी.आई. द्वारा स्वीकार करने के उपरांत विभाजित मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी अधिसूचना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में की गई है। छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा दिनांक 13 जून, 2016 को पत्र क्रमांक-एफ-10-66/2009/25/2 के माध्यम से संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए समुचित कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। इस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किये जाने के कारण इस वर्ग के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा संवैधानिक लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। कृपया शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाए जिससे इन वर्गों की वर्षों से लंबित समस्या का समाधान हो सके।